<u>न्यायालयः विशिष्ठ न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम, बारां (राज०)</u>

पीठासीन अधिकारी

प्रमोद कुमार शर्मा,

(RJS-DJ CADRE)

निर्णय दिनांक: 02-06-2026

सेशन प्रकरण सं. 39/2021

सी.आई.एस. नं. 07/2021

C.N.R. No. RJBR010004732021

एफ.आई.आर.संख्या 190/2018 पुलिस थाना विद्युत चौरी निरोधक, बारां (राज.)

अपराध अंतर्गत धारा धारा 135,138 विद्युत अधिनियम

PART- I

<u>A</u>

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री ललित नागर- विशिष्ट लोक अभियोजक
अभियुक्त/अभियुक्तगण	मंसुर अली पुत्र श्री याकुब अली (विद्युत खाता संख्या 17050373) निवासी नयापुरा मस्जिद के पास अंता जिला बारां (राज0)
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज जैन, अभियुक्त की ओर से।

<u>B</u>

अपराध की दिनांक		12.12.2017
एफ०आई०आर० की दिनांक		12.03.2018
आरोप पत्र की दिनांक		03.03.2021
आरोप सुनाये जाने की दिनांक		05.01.2022
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		02.06.2026
निर्णय सुनाने की दिनांक		02.06.2026
दण्डादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	02.06.2026

C
अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः

अभियुक्त/ अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्त/ अभियुक्तगण का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दंडादेश या परीवीक्षा आदेश का विवरण	धारा 428 सीआरपीसी के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि
01.	मंसुर अली	18.05.2018	18.05.2018	135,138 विघुत अधिनियम	धारा 135 विघुत अधि0 के अपराध में दोषमुक्त एवं धारा धारा 138 विघुत अधि0 के अपराध में दोषसिद्ध	धारा 138 विघुत अधि0 के अपराध में एक वर्ष का साधारण कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित।	-

PART– II
साक्षियों की सूचीः अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी
(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
PW1	लाकेश कुमार	EYE WITNESS
PW2	आशिष कुमार मथुरिया	COMPLAINANT
PW3	साबिर हुसैन	EYE WITNESS
PW4	जीतेन्द्र मालव	EYE WITNESS
PW5	खुमान सिंह	EYE WITNESS
PW6	किशनगोपाल	POLICE WITNESS
PW7	रामनिवास	POLICE WITNESS & I.O.

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	**NATURE OF EVIDENCE** (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूचीः अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	**प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित**	**वर्णन**
1	Ex P1	सतर्कता जांच प्रतिवेदन
2	Ex P2	फर्द जप्ती
3	Ex P3	प्रार्थना पत्र
4	Ex P4	असेसमेंट राशि का प्रपत्र
5	Ex P5	नोटिस
6	Ex P6	मीटर टेंस्टिंग रिपोर्ट
7	Ex P7 **लगायत** Ex P14	फोटो
8	Ex P15	सूची
9	Ex P16	नक्शा मौका
10	Ex P17	फर्द गिरफतारी

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	NIL	NIL

(C) न्यायालय प्रदर्शः

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	NIL	NIL

(D) <u>सारवान वस्तु एवं मालखाना</u>:

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
	NIL	NIL	

01- इस प्रकरण में विद्युत चोरी निरोधक थाना बारां के भारसाधक अधिकारी द्वारा आरोप पत्र अभियुक्त मंसूर अली के विरूद्ध धारा 135, 138 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 03.03.2021 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

02- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी आशीष कुमार मथुरिया- कनिष्ठ अभियंता (प0व0स0) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बारां ने एक तहरीरी रिपोर्ट दिनांकित 12.12.2017 थानाधिकारी थाना विद्युत चोरी निरोधक बारां के समक्ष दिनांक 12.12.2017 को एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह दिनांक 12.12.2017 को सूचना मिलने पर लोकेश सुमन, जितेन्द्र मालव, साबिर हुसैन, खुमान सिंह तकनीकी कर्मचारी को साथ लेकर समय लगभग 01.00 पीएम पर मंसुर अली पुत्र याकुब अली (विद्युत खाता संख्या 1705/0373 घरेलु) निवासी नयापुरा मस्जिद के पास अंता जिला बारां के मकान पर पहुंचने पर मौके पर विद्युत मीटर नंबर 30413708 HPL Tempered (मीटर से छेडछाड) करवाते हुए पकडा गया, मौके पर मौजूद व्यक्तियों से पूछताछ करने पर मुशरफ अली पुत्र मंसुर अली ने बताया कि हुसैन पठान निवासी भाया की बाडी अंता विद्यतु मीटर Tempere का कार्य करता है, हमने उसे विद्युत मीटर Tempere करने के लिए बुलाया है किंतु मौके से हुसैन पठान निगम दस्ते को देखकर फरार हो गया। उक्त प्रकरण विद्युत अधिनियम की धारा 135 व 138 के अंतर्गत दण्डनीय है। मौके पर वीसीआर नंबर 28616/13 दिनांक 12.12.2017 भरी गई जिसका विद्युत खाता संख्या 1705/0373 Load 4813 Watts है। मौके पर विद्युत मीटर मय आर्मड केबिल जप्त किया जाकर फोटोग्राफी की गई......इत्यादि

03- उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना विद्युत चोरी निरोधक थाना बारां में प्रकरण 190/2018 अंतर्गत धारा 135, 138 विद्युत अधिनियम 2003 मे दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान मुलजिम मंसूर अली के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 135, 138 विद्युत अधिनियम का प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां मुलजिम के विरूद्ध उक्त अपराध में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04- बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त मंसूर अली के विरूद्ध धारा 135, 138 विद्युत अधिनियम के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, जिन्हें अभियुक्त ने सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

05- अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षीगण पी0डब्ल्यू0 01 लगायत पी0 डब्ल्यु0 07 के बयान लेखबद्व करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-17 पेश किये। साक्ष्य समाप्ति के पश्चात अभियुक्त को धारा 313 दं॰प्र॰सं॰ के तहत परीक्षित किया गया जिसमें उसने अभियोजन कहानी को गलत होना बताते हुये रंजिशवश झूंठा फंसाया जाना एवं निर्दोष होना कथन किया। अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा जिस पर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

06- बहस उभय पक्ष सुनी गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने तर्क दिया पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध बखूबी प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषी करार दिये जाने का निवेदन किया।

07- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं। अभियोजन के सभी साक्षीगण द्वारा यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा की गई कार्यवाही के समय अभियुक्त मौके पर उपस्थित नहीं था। साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि मीटर में छेडछाड अभियुक्त द्वारा नहीं की जाकर हुसैन पठान नामक अन्य व्यक्ति द्वारा की जा रही थी, जिसे मौके से भागना बताया है। जबकि उसके विरूद्ध विद्युत थाना द्वारा कोई आरोपपत्र प्रस्तुत नहीं किया है। वीसीआर भरी जाने की जो कार्यवाही की गयी है, उसका कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया है। प्रदर्शित करवाये गये फोटोग्राफ के संबंध में धारा 65-बी साक्ष्य अधिनियम का कोई प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है एवं फोटोग्राफी करने वाले फोटोग्राफर को भी परीक्षित नहीं करवाया गया है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस बाबत अनुसंधान नहीं किया है कि बिजली विभाग वाले मौके पर गये थे या नहीं। अभियुक्त की ओर से कम्पाउन्डिंग राशि में से 20 हजार रूपये की राशि अपनी जमानत के समय विभाग के कोष में जमा करवायी जा चुकी है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

08- उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। हमारे समक्ष विचारणीय बिन्दु इस प्रकार है किः-

1. क्या दिनांक 12.12.2017 को समय 01.00 पीएम पर बमुकाम अभियुक्त मंसूर अली के मकान पर बारां में जयपुर डिस्कॉम, अंता के कनिष्ठ अभियंता (पवस) आशीष कुमार मथुरिया द्वारा मय सतर्कता दल उसके परिसर की सतर्कता जांच की तो उसके द्वारा अपने घर के विद्युत मीटर (विद्युत खाता संख्या 17050373) को अनाधिकृत तरीके से टेम्पर्ड करते हुए विद्युत चोरी करता पाया गया ?
2. यदि हां, तो अभियुक्त को दंड की किस मात्रा से दंडित किया जावे ?

<u>विचारण बिंदु सं0 1 -</u>

09- उक्त विचारणीय बिंदु को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने के संबंध में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण में से साक्षी पी0ड0-1 लोकेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12.12.2017 को वह तकनीकी सहायक के पद पर जयपुर डिस्कॉम अंता में कार्यरत था। इस दिन वह कनिष्ठ अभियंता आशिष मथुरिया के साथ अन्य चैकिंग स्टाफ सहित 1.00 पीएम पर मंसूर अली पुत्र याकूब अली निवासी नयापुरा मस्जिद के पास अंता के मकान पर गये थे, जहां पर उपभोक्ता विद्युत मीटर के साथ छेड़-छाड करते हुए पाया गया। उन्हें देखकर दो व्यक्ति वहां से भाग गये। मौके पर मौजूद मुर्शरफ अली पुत्र मंसूर अली से पूछताछ करने बताया कि उनके विद्युत मीटर में उनके पिताजी हुसैन पठान निवासी भाया की बाडी अंता से विद्युत मीटर में छेडछाड करवा रहे थे जो आप लोगों को देखकर भाग गया। जिस पर मौके पर पुलिस को बुलाया गया। मंसूर अली व हुसैन पठान का उक्त कृत्य विद्युत की चोरी की नियत से विभाग के मीटर में छेडछाड करना अपराध होने से कनिष्ठ अभियंता द्वारा मौके पर फोटो लिए तथा वीसीआर भरी गयी जिस पर चैकिंग दल के सदस्य व मौके पर मौजूद मुर्शरफ अली के हस्ताक्षर करवाये। मीटर को जब्त किया। चैकिंग दल में खुमानसिंह, जीतेन्द्र मालव व साबिर हुसैन साथ थे। सतर्कता जांच प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 है, फर्द जब्ती प्रदर्श पी-2 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई जिरह में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-1 पर किसी स्वतंत्र व्यक्ति के बतौर गवाह हस्ताक्षर नहीं करवाये। यह कहना सही है कि मंसूर अली मौके पर मौजूद नहीं था। मीटर के साथ जो व्यक्ति छेडछाड कर रहे थे उसका नाम हुसैन पठान था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-1 में हुसैन पठान का नाम अंकित नहीं है। यह कहना सही है कि मंसूर अली को मीटर के साथ छेडछाड करते नहीं देखा। मीटर में चैकिंग के दिन रीडिंग कितनी थी, उसे पता नहीं है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी-1 पर उनके अधिकारी के कहने से ऑफिस में हस्ताक्षर किये हों।

10- गवाह पी०डब्ल्यू-2 आशीष कुमार मथुरिया ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12.12.2017 को वह जयपुर डिस्कॉम अंता पर कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत था। इस दिन विद्युत चोरी चैकिंग पर सूचना मिलने पर मय स्टाफ लोकेश सुमन, खुमानसिंह, जीतेन्द्र मालव व साबिर हुसैन के साथ दिन के लगभग एक बजे मसूर अली पुत्र याकूब अली निवासी नयापुरा मस्जिद के पास अंता के मकान पर पहुंचे थे, जहां पर उपभोक्ता वहां लगे विद्युत मीटर से छेडछाड करते हुए पाया गया। उन्हें देखकर छेडछाड करने वाले दो व्यक्ति वहां से भाग गये। मौके पर ही मौजूद मुर्शरफ अली ने पूछताछ करने पर बताया कि उसके पिता मंसूर अली, हुसैन पठान नामक व्यक्ति से विद्युत मीटर में छेडछाड करवा रहे थे जो आपको देखकर भाग

गया। उसने पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया था। मंसूर अली चोरी की नियत से निगम उपकरण मीटर में छेडछाड करना अपराध होने से मौके पर उसने फोटो लिए थे तथा वीसीआर भरी गयी जिस पर मुर्शरफ अली ने हस्ताक्षर किये तथा अन्य सदस्यों के भी हस्ताक्षर करवाये। मौके पर मीटर को जब्त किया गया तथा विद्युत थाना बारां पर विद्युत चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने की तहरीर डाक से भिजवायी। उसके द्वारा भेजी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी-3 है, मौके पर भरा गया सतर्कता जांच प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 है, असेसमेंट राशि का प्रपत्र प्रदर्श पी - 4 है, मंसूर अली को दिया नोटिस प्रदर्श पी-5 है, फर्द जब्ती मीटर व केबल प्रदर्श पी-2 है, मीटर टेंस्टिंग रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है, मौके पर लिए फोटो प्रदर्श पी-7 लगायत 14 है जिन फर्दात पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रथम सूचना गवाहान के साथ भेजी गयी सूची प्रदर्श पी-15 है।

अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई जिरह में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि इस मकान के अलावा आसपास के मकानों में भी उनके बिजली कनेक्शन थे। यह कहना सही है कि उन्हें मंसूर अली मौके पर नहीं मिला। फोटोग्राफ मौके पर खींचे गये थे। यह कहना सही है कि मौके पर जिन फोटुओं का खींचना बता रहा हूं, उन फोटोज पर मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं करवाये। अजखुद कहा फोटो मोबाईल से खींचे थे जिनका प्रिंट बाद में निकलवाया गया था, अतः यह संभव नहीं था। यह कहना सही है कि जिस मोबाईल से फोटो खींचना बता रहे हैं, वह मोबाईल या उसका मैमोरी कार्ड पुलिस को अनुसंधान के दौरान नहीं दिया। मौके पर मंसूर अली के बेटे के हस्ताक्षर करवाये थे। जिस दिन मीटर को चैक किया उस दिन कितनी रीडिंग थी यह उसे याद नहीं है। चैंकिंग करने से पहले उपभोक्ता को जो बिल दिया था उस समय मीटर में कितनी रीडिंग थी यह भी आज याद नहीं है।

11- गवाह पी०डब्ल्यू-3 साबिर हुसैन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12.12.2017 की बात है। इस दिन वह कनिष्ठ अभियंता आशीष मथुरिया के साथ मय चैकिंग स्टाफ के लगभग 1.00 पीएम पर मंसूर अली निवासी नयापुरा मस्जिद के पास अन्ता के मकान पर विद्युत चैकिंग के लिए गये थे। जैसे ही वे मंसूर अली के मकान पर पहुंचे तो वहां पर उसके मकान पर लगे विद्युत मीटर से छेडछाड करते हुए पाया। उन्हें देखकर मीटर में छेडछाड करने वाले दो व्यक्ति वहां से भाग गये। मौके पर मंसूर का बेटा मुसफ्फर अली वहां मिला तो उससे इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके पापा ने विद्युत मीटर में बिजली चोरी के लिए छेडछाड करने के लिए लोगों को बुलाया था। इस पर कनिष्ठ अभियंता आशीष मथुरिया ने मौके पर मीटर जप्त किया व फोटो खीचें व वीसीआर भरी। मौके पर भरी गयी वीसीआर प्रदर्श पी-1 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी-10 फोटों में उसका ही फोटो है। उनकी टीम में लोकेश सुमन, जीतेन्द्र मालव, खुमानसिंह भी साथ थे।

अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई जिरह में गवाह ने कथन किया है कि वे मौके पर पहुंचे तो वहां पर 2-4 व्यक्ति इकठठे हो गये थे। यह कहना सही है कि

जब वे वहां पहुंचे तब वहां पर मंसूर अली मौजूद नहीं था। यह कहना सही है कि उक्त मौका स्थल का पता व मीटर नंबर फोटो में नहीं दिख रहे हैं। मौके पर उन्होंने मकान के स्वामित्व के संबंध में कोई कागजात नहीं देखे थे। अजखुद कहा कि बिजली का बिल देखा था।

12- गवाह पी०ड0-4 जितेन्द्र मालव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12.12.2017 की बात है। इस दिन वह जेईएन आशीष कुमार व लोकेश सुमन तकनीकी सहायक, खुमान सिंह सहायक, साबिर हुसैन मय स्टाफ के सूचना पर नयापुरा मस्जिद के पास मंसूर अली पुत्र याकूब अली के मकान पर जैसे ही वे पहुंचे तो उन्हें देखकर दो व्यक्ति जो कि मकान पर लगे मीटर के साथ छेडछाड कर रहे थे, भाग गये। उन्होंने वहां जाकर देखा तो मीटर का ढक्कन खुला मिला व सील टूटी हुई पायी गयी। मौके पर मंसूर अली का पुत्र मिला। मंसूर अली के पुत्र से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके पिताजी ने मीटर में छेडछाड करने के लिए एक व्यक्ति को बुला रखा था। इस पर जेईन आशीष कुमार ने फोन करके पुलिस को बुलाया और मौके पर से केबल व मीटर जप्त किये और वीसीआर भरी गयी जो प्रदर्श पी-1 है जिस पर आई से जे उसके हस्ताक्षर हैं। फिर पुलिस द्वारा घटना स्थल का नक्शा मौका देखा था जो प्रदर्श पी-16 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई जिरह में गवाह ने कथन किया है कि जब वे मौके पर पहुंचे थे तो वहां पर आसपास के 10-15 व्यक्ति इकठठे हो गये थे। मकान पर लगे मीटर का नंबर 30413708 था। मीटर में कोई रीडिंग नहीं थी। अजखुद कहा उस समय लाईट बंद थी, इसलिए रीडिंग दिखायी नहीं दे रही थी।

13- गवाह पी०ड०-5 खुमान सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वर्ष 2017 में वह अन्ता विद्युत विभाग में लाईन मैन के पद पर कार्यरत था। आशीष मथुरिया के साथ वह दिनांक 12.12.2017 को मय स्टाफ के कस्बा अन्ता में नयापुरा मस्जिद के पास स्थित एक मकान पर विद्युत चोरी चैकिंग के लिए गये थे। मन्सूर अली के मकान पर जब वे पंहुचे तो वहां पर दो व्यक्ति मीटर से छेडखानी कर रहे थे, ढक्कन नीचे खोलकर पटक रखा था जो उन्हें देखकर वहां से भाग गये। मौके पर मन्सूर अली का लडका मुशरफ अली मिला था जिससे पूछा तो उसने बताया कि उसके पिताजी ने हुसैन पठान को मीटर में छेडछाड के लिए बुलाया था जो मौके पर आपको देखकर भाग गये। इस पर आशीष मथुरिया ने मौके स्थल के फोटो लिये और वीसीआर भरी थी। मीटर को जप्त कर खोलकर लाये थे। चैंकिंग में लोकेश, जीतेन्द्र, साकिर और दिनेश कुमार भी साथ थे। मौके पर भरी गयी वीसीआर प्रदर्श पी-1 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द जप्ती प्रदर्श पी-2 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका देखा था, नक्शा मौका प्रदर्श पी-16 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं।

अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई जिरह में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि वहां पर मंसूर अली मौजूद नहीं था। वे जिस मकान पर चैकिंग

के लिए गये थे, उस मकान के आसपास किन किनके मकान थे, उनका उसे पता नहीं है। जिस गाडी से वे चैकिंग के लिए गये थे, उसे गाडी के नंबर उसे पता नहीं है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी-1 ऑफिस में तैयार किया हो।

14- गवाह पी०ड0-6 किशनगोपाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 18.05.2018 को वह एपीटीपीएस बारां में कानि० के पद पर तैनात था। उस दिन श्री रामनिवास मीणा एसआई ने मंसूर अली को मुकदमा नं0 190/2018 धारा 135, 138 में थाने पर गिरफतार किया था। जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी-17 है जिस पर ए से बी उसके हस्ता० हैं।

15- गवाह पी०ड०-7 रामनिवास ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 12.03.2018 को वह विद्युत चोरी निरोधक थाना बारां पर थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। इस दिन आशीष मथुरिया जयपुर डिस्कॉम अंता ने एक टाईपशुदा तहरीरी रिपोर्ट मुकदमा दर्ज करने हेतु मय संलग्न दस्तावेज, मूल वीसीआर, गवाहान सूची, फर्द जप्ती, मौके के आठ फोटो, कंजक्शन शीट, असेसमेंट शीट व लेब टेस्टिंग रिपोर्ट उसे प्रस्तुत की थी, जो प्रदर्श पी-3 है, जिसकी पुश्त पर उसने कार्यवाही पुलिस का अंकन कर मुकदमा संख्या 190/2018 धारा 135, 138 विद्युत अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया था। मुकदमा दर्ज का पृष्ठांकन सी से डी के मध्य अंकित है जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। उसके द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी-16 मुर्तिब किया था जिस पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। गवाहान आशिष कुमार, लोकेश कुमार, जितेद्र मालव, साबिर हुसैन, खुमान सिंह के बयान उनके कहेअनुसार लेखबद्ध किये थे। मुल्जिम से पूछताछ कर उसे थाने पर जर्ये प्रदर्श पी-17 से गिरफ्तार किया था जिस पर सी से डी उसके तथा ई से एफ मुल्जिम के हस्ताक्षर है। तफतीश से मुल्जिम के विरूद्ध धारा 135, 138 विद्युत अधिनियम का प्रमाणित पाया गया। अग्रिम कार्यवाही के लिये पत्रावली कुलदीप सिंह के सुपुर्द की थी, जिन्होंने मुल्जिम के विरुद्ध चार्जशीट कता कर न्यायालय में चालान पेश किया था।

अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से की गई जिरह में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि मंसूर अली को बिजली विभाग वालों ने मौके पर विद्युत मीटर टैम्पर करते हुए नहीं पकडा। यह सही है कि उन्होंने भी मंसूर अली को विद्युत मीटर टैम्पर करते हुए नहीं पकडा। उसने अनुसंधान के दौरान किसी स्वतंत्र व्यक्ति के बयान नहीं लिये। किसी स्वतंत्र व्यक्ति ने यह भी नहीं बताया कि उनके द्वारा मंसूर अली को विद्युत मीटर के साथ छेडछाड करते हुए देखा है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा जिस वाहन से चैकिंग स्थल पर जाना बताया था, उस वाहन की लॉकबुक उसके द्वारा अनुसंधान के दौरान प्राप्त नहीं की। यह सही है कि वह आरएसीबी के अधिकारियों द्वारा बताये अनुसार ही बता रहा है कि वे मौके पर गये थे। उसे अनुसंधान के दौरान मौके पर जाने के कोई दस्तावेज नहीं मिले।

16- उक्त प्रकार से प्रकरण में परिवादी आशीष मथुरिया कनिष्ठ अभियंता जयपुर डिस्कॉम, अंता के द्वारा सूचना मिलने पर दिनांक 12-12-2017 को अपने विभाग के अन्य तकनीकी कर्मचारियों को साथ लेकर लगभग 1.00 पीएम पर अभियुक्त मंसूर अली के मकान पर स्थित विद्युत मीटर नंबर 30413708 एचपीएल से छेडछाड करते हुए पकडे जाने व पूछताछ करने पर अभियुक्त के पुत्र मुशर्रफ अली द्वारा विद्युत मीटर को टेम्पर करने के लिए हुसैन पठान को बुलाने, जिसके विद्युत निगम के दस्ते को देखकर फरार हो जाने के संबंध में तथ्य अंकित करते हुए विद्युत चोरी की रिपोर्ट विद्युत चोरी निरोधक थाना बारां के थानाधिकारी के समक्ष मय अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत की गयी है। उक्त् रिपोर्ट के संबंध में स्वयं परिवादी आशीष कुमार मथुरिया पी0ड0-2 के द्वारा अपने सशपथ कथनों में रिपोर्ट के तथ्यों की ताईद करते हुए अपने स्टाफ के साथ अभियुक्त के मकान पर पहुंचने पर वहां लगे विद्युत मीटर से छेडछाड करते हुए पाये जाने एवं उन्हें देखकर छेडछाड करने वाले दो व्यक्तियों का वहां से भाग जाने तथा मौके पर ही मौजूद मुशर्रफ अली से पूछताछ करने पर उसके पिता मंसूर अली के द्वारा हुसैन पठान नामक व्यक्ति से मीटर में छेडछाड करवाये जाने की बात कहने आदि कथन किये गये हैं। गवाह ने अपने कथनों के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य में दस्तावेजात प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-15 को प्रदर्शित करवाया गया है, जिसमें दिनांक 12-12-2017 को घटना के समय 1.35 पी.एम. पर गवाहान के समक्ष भरी गयी वीसीआर (सतर्कता जांच प्रतिवेदन) प्रदर्श पी-1 के रूप में प्रदर्शित करवायी गयी है। प्रदर्श पी-1 पर उपभोक्ता के प्रतिनिधि के रूप में उसके पुत्र मुशर्रफ अली के हस्ताक्षर भी करवाया जाना बताया है। इसके अतिरिक्त उक्त कार्यवाही के समय विद्युत चोरी करने हेतु उपयोग किये गये सामान के रूप में सिंगल फेज का आरमर्ड केबल, सील टूटा हुआ मीटर व उसके खुले हुए ढक्कन आदि को जर्ये प्रदर्श पी-2 जप्त किया जाना बताया गया है। विभाग द्वारा अभियुक्त को उपभोक्ता के रूप में दिया गया असेसमेंट राशि का प्रपत्र, नोटिस आदि भी मौके पर लिये गये फोटोग्राफ के अतिरिक्त प्रदर्शित करवाये गये हैं, जिसमें अभियुक्त मंसूर अली का परिवादी के विभाग का उपभोक्ता के रूप में खाता सं0 17050373 अंकित है। अभियुक्त के मकान से प्रदर्श पी-2 के जर्ये जप्त किये गये मीटर की मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट भी प्रदर्श पी-6 के रूप में प्रदर्शित करवायी गयी है, जिसमें मीटर की स्टीकर सील ओपन होना, मीटर के टर्मीनल ब्लॉक जले हुए होना, मीटर बंद होना तथा उस पर कोई डिस्प्ले नहीं होना अंकित है। परिवादी आशीष मथुरिया पी0ड0-2 के कथनों की व अभियोजन के प्रकरण की, उक्त कथित कार्यवाही के समय मौके पर मौजूद होना बताये गये साक्षीगण पी0ड0-1 लोकेश कुमार, पी0ड0-3 साबिर हुसैन, पी0ड0-4 जितेन्द्र मालव एवं पी0ड0-5 खुमान सिंह सभी के द्वारा पूर्णतः ताईद की गयी है व मौके पर तैयार की गयी विभिन्न फर्दात को भी प्रदर्शित करवाते हुए उन पर अपने अपने हस्ताक्षर होना कहा है। अतः यह तथ्य स्पष्ट है कि परिवादी तथा उसके विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा दिनांक 12-12-2017 को अभियुक्त मंसूर अली के

निवास पर की गई चैकिंग के समय उसके नाम पर लिये गये विद्युत कनेक्शन खाता सं0 17050373 के विद्युत मीटर को विद्युत चोरी करने के आशय से टैम्पर किया गया है जो मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 के अवलोकन से पूर्णतः स्पष्ट व प्रमाणित है।

17- प्रकरण में अभियोजन के सभी साक्षीगण के कथनानुसार परिवादी व विभाग के अन्य व्यक्तियों द्वारा दिनांक 12-12-2017 को अभियुक्त के विद्युत मीटर में छेडछाड करते हुए रंगे हाथों पकडा जाना बताया गया है, जिसे उसी समय परिवादी के द्वारा पकडा जाकर वीसीआर प्रदर्श पी-1 भरते हुए अभियुक्त के निवास पर लगे हुए टैम्पर्ड मीटर अन्य वस्तुओं के साथ जप्त किया जाकर उसका विद्युत कनेक्शन काट दिया जाना प्रकट हुआ है। साक्षीगण द्वारा मुलजिम से मीटर की रीडिंग बताने में भी असमर्थता जताई गयी है। इस बाबत किसी भी साक्षी द्वारा ऐसे कोई कथन नहीं किये गये हैं कि उक्त मीटर में छेडछाड किये जाने के पूर्व से ही अभियुक्त द्वारा विद्युत चोरी की जा रही हो अथवा किसी निश्चित मात्रा में विद्युत यूनिट की चौरी की जा चुकी हो। यद्यपि यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के निवास पर लगाये गये विद्युत मीटर को टैम्पर करने का कार्य विद्युत चोरी करने के उद्धेश्य से ही किया जा रहा था, परंतु उक्त टैम्पर किये जाने के समय तक पूर्व से कोई विद्युत चोरी किया जा चुकना साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है। यद्यपि उक्त सभी साक्षीगण जिसमें स्वयं परिवादी आशीष मथुरिया भी सम्मिलित है, के द्वारा स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त मंसूर अली विद्युत विभाग की ओर से वीसीआर भरे जाने के समय अपने निवास एवं मौके पर उपस्थित नहीं रहा है। इस आधार पर अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किये गये हैं कि अभियुक्त मंसूर अली स्वयं के द्वारा न तो विद्युत मीटर को टैम्पर किया गया है, न ही कोई विद्युत चोरी की गयी है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये उक्त तर्कों के क्रम में यद्यपि साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त मंसूर अली विद्युत विभाग की उक्त कार्यवाही के समय मौके पर मौजूद नहीं रहा है तथा वीसीआर प्रदर्श पी-1 पर भी उसके हस्ताक्षर नहीं होकर उसके प्रतिनिधि के रूप में उसके पुत्र मुशर्रफ अली के हस्ताक्षर हैं। यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में अभियुक्त मंसूर अली सर्वप्रथम दिनांक 12-03-2018 को पकडा जाकर गिरफतार किया गया है। परंतु इस संबंध में विभागीय साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त मंसूर अली परिवादी के विभाग जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड, अंता का घरेलू उपभोक्ता है, जिसका खाता सं0 भी मौके पर बनायी गयी फर्द प्रदर्श पी-1 व अन्य फर्दों पर अंकित है। स्वयं अभियुक्त मंसूर अली के द्वारा भी उक्त खाता सं0 17050373 का स्वयं के नाम नहीं होने के बाबत कोई खण्डन अपनी साक्ष्य से नहीं किया गया है। यहां तक कि स्वयं उसके द्वारा जमानत आवेदन पर सुनवायी के पूर्व विद्युत विभाग में वीसीआर प्रदर्श पी-1 के उपरांत विभाग द्वारा उसे दिया गया नोटिस प्रदर्श पी-5 में बतायी गयी सिविल लाईबिलिटी एवं कम्पान्डिंग शुल्क की राशि 63,579/-रूपये में से 20,000/-रू0 परिवादी के विभाग को जमा करवाया जाना बताया गया है।उक्त प्रकार से प्रकरण में यद्यपि वीसीआर भरे जाने के समय अभियुक्त मंसूर अली की उपस्थिति मौके पर नहीं

रही है, परंतु पूर्व में की गयी विवेचना के अनुसार यह प्रमाणित है कि अभियुक्त मंसूर अली स्वयं परिवादी के विभाग जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का उपभोक्ता है, जिसके विद्युत खाता सं0 17050373 हेतु लगाये गये विद्युत मीटर को टैम्पर किया जाना भी साक्ष्य से प्रमाणित है। इस संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी उपभोक्ता के मीटर आदि में कोई अप्राधिकृत छेडछाड पाये जाने पर जब तक कि इसके विरूद्ध साबित नहीं कर दिया जाता, यह उपधारणा की जावेगी कि विद्युत मीटर में इस प्रकार के अल्ट्रेशन या अन्य छेडछाड का कार्य उपभोक्ता की जानकारी में व उसके द्वारा आशयपूर्वक किया गया है। इस उपधारणा का कोई खण्डन अभियुक्त की ओर से न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर नहीं किया गया है। यहां तक कि अभियुक्त के जो बयान मुलजिम न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किये गये हैं, उसमें साक्ष्य हेतु अवसर चाहे जाने के बावजूद अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है एवं इस बाबत भी कोई कथन नहीं किये हैं कि अभियोजन के साक्षीगण अथवा परिवादी की उससे पूर्व की कोई रंजिश रही हो, जिसके कारण उनके द्वारा उसके विरूद्ध गलत रूप से मिथ्या सशपथ कथन किये गये हों।

18- अतः उक्तानुसार प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के समग्र परिशीलन एवं विवेचन के उपरांत न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि प्रकरण में अभियोजन अपनी साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है कि दिनांक 12.12.2017 को समय 01.00 पीएम पर बमुकाम अभियुक्त मंसूर अली के मकान पर बारां में जयपुर डिस्कॉम, अंता के कनिष्ठ अभियंता (पवस) आशीष कुमार मथुरिया द्वारा मय सतर्कता दल उसके परिसर की सतर्कता जांच किये जाने पर अभियुक्त विद्युत चोरी करते हुए पकडा गया हो जबकि अभियोजन अपनी साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर जयपुर डिस्कॉम, अंता के कनिष्ठ अभियंता (पवस) आशीष कुमार मथुरिया द्वारा मय सतर्कता दल उसके परिसर की सतर्कता जांच किये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपने घर के विद्युत मीटर (विद्युत खाता संख्या 17050373) को अनाधिकृत तरीके से टेम्पर्ड करवाया गया। लिहाजा अभियुक्त मंसूर अली के विरूद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम का आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्त को उक्त धारा के आरोपित अपराध से सन्देह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जबकि अभियुक्त मंसूर अली के विरूद्ध धारा 138 विद्युत अधिनियम का आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होने से अभियुक्त धारा 138 विद्युत अधिनियम के आरोपित अपराध में दोषी करार दिये जाने योग्य है।

- <u>आदेश</u> -

19- परिणामस्वरूप अभियुक्त मंसुर अली पुत्र श्री याकुब अली (विद्युत खाता संख्या 17050373) निवासी नयापुरा मस्जिद के पास अंता जिला बारां (राज0) को धारा

135 विद्युत अधिनियम 2003 के आरोपित अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। जबकि अभियुक्त को धारा 138 विद्युत अधिनियम 2003 के आरोपित अपराध में दोषी करार दिया जाता है।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम-01 बारां जिला बारां(राज०)

<u>**सजा के बिंदु पर सुना गया**</u> -

20- विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, पूर्व की कोई दोषसिद्धी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त कई वर्षो से अन्वीक्षा भुगत रहा है। वह निर्धन व्यक्ति है। अंत में परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाने एवं अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाये जाने का निवेदन किया गया।

21- इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए गंभीर अपराध में दोषसिद्धी के आधार पर सख्त सजा से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया।

22- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्व पूर्व की कोई दोषसिद्धी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, वह गत कई वर्षों से अन्वीक्षा भुगत रहा है, परंतु अभियुक्त के द्वारा विद्युत चोरी करने के आशय से विद्युत मीटर की सील को तोडकर मीटर टैम्पर करते हुए गंभीर अपराध कारित किया है, जिसकी कम्पाउन्डिंग शुल्क की समस्त राशि भी जमा नहीं करवायी गयी है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को निम्न प्रकार से दंडित किया जाना न्यायोचित है।

- <u>दण्डादेश</u> -

23- परिणामस्वरूप अभियुक्त मंसुर अली पुत्र श्री याकुब अली (विद्युत खाता संख्या 17050373) निवासी नयापुरा मस्जिद के पास अंता जिला बारां (राज0) को धारा 138 विद्युत अधिनियम 2003 के आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 5000/-रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त को एक माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

24- प्रकरण में फर्द जप्ती अनुसार जप्तशुदा माल बाद गुजरने मियाद अपील, अपील नहीं होने की सूरत में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

25- अभियुक्त के विचारण के दौरान उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त का सजा वारंट पृथक से बनाया जावे।

26- अभियुक्त धारा 437-ए दं0प्र0सं0 के तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय में 06 माह की अवधि में उपस्थित होने हेतु 10,000/-रू0 के जमानत मुचलके पेश करे।

27- निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क अविलम्ब उपलब्ध करवायी जावे।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम-01 बारां जिला बारां(राज०)

28- निर्णय आज दिनांक **02.06.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम-01 बारां जिला बारां(राज०)